बीआरकेजीबी बचत बैंक जमा योजना

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	**बीआरकेजीबी बचत बैंक जमा योजना** **BRKGB SAVING BANK DEPOSIT SCHEME**
2.	उत्पाद / योजना	बचत बैंक जमा से तात्पर्य ऐसे जमा खाते से है जिसका प्रमुख उद्देश्य जनता में बचत की आदत विकसित करना है। जमाकर्ता के खाते में बकाया राशि पर सामान्य ब्याज प्राप्त करने के अतिरिक्त कुछ प्रतिबन्धों के अधीन जब कभी वह चाहे, उसे अपनी इच्छानुसार राशि के आहरण की स्वतंत्रता है। लेकिन बैंक द्वारा प्रदत्त विशिष्ट अवधि में आहरणों की संख्या को सीमित किया गया है।
3.	पात्रता	चूंकि जमा खाते के सम्बन्ध में बैंक तथा उसके ग्राहकों के बीच देनदार तथा लेनदार का सम्बन्ध होता है अतः कोई भी व्यक्ति, जो कानूनी तौर पर वैध करार करने के लिए सक्षम है तथा बैंक को विधिवत रूप से आवेदन करता है अर्थात बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करता है तथा बैंक द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करता है, बचत बैंक खाता खोल सकता है। बचत बैंक खाते निम्न द्वारा खोले जा सकते हैः 1. व्यक्तियों द्वारा – कोई भी पुरूष अथवा महिला जो बालिग है तथा संतुलित दिमाग के हैं एवं कानूनी तौर पर किसी प्रकार का करार करने के लिए अयोग्य घोषित नही किये गये हैं, अर्थात पागल न हो, एवं दिवालिया घोषित नही किये गये हों। 2. दो अथवा उससे अधिक व्यक्तियों के नाम से खोले जा सकते हैं एव निम्नलिखित को देय हो सकतें हैं– i. इनमें से किसी एक या अधिक को ii. उत्तरजीवियों में से किसी एक या अधिक को iii. किसी भी एक या एक से अधिक उत्तरजीवियों को संयुक्त रूप से या उत्तरजीवी को iv. ''पहले वाले या उत्तरजीवी'' को या ''बाद वाले या उत्तरजीवी'' को इस शर्त पर कि पहले/बाद वाले खातेदार की मृत्यु हो जाने पर क्रमशः दूसरे/ पहले नाम वाले खातेदार खाते में राशि पाने का हकदार होगा।
4.	नाबालिग व्यक्ति का खाता	1. नाबालिग के नाम से भी बचत खाता खोला जा सकता है। दस साल से कम उम्र वाले नाबालिग के मामले में मात्र नाबालिग के नाम से खाते खोले जा सकतें हैं बशर्तें खाता नैसर्गिक अभिभावक अथवा माता पिता द्वारा परिचालित किया जाता है। यदि वह 10 साल पूरे कर चुका/चुकी है और पढ़ लिख सकता/सकती है तो वह खाता परिचालित कर सकता/सकती है। ऐसे खातों में रू. एक लाख से अधिक राशि नही रखी जा सकती है। 14 वर्ष से अधिक के नाबालिगों के लिए अधिकतम जमाराशि की सीमा नही है। 2. नाबालिग की जन्म तिथि सुनिश्चित की जाएगी, जिसकी प्रामाणिकता नाबालिग की पाठशाला/नगरपालिका प्राधिकारी आदि द्वारा जारी प्रमाण पत्र से सत्यापित की जाएगी। जन्म तिथि खाता खोलने के फार्म, कार्ड, सिस्टम एवं पास बुक आदि पर दर्ज की जाए एवं सुनिश्चित करें कि 18 साल की आयु होने के बाद खाते के परिचालन सम्बन्धी नये अनुदेश प्राप्त किये जायें तथा खाता समुचित रूप से पुनर्गठित किया गया है। 3. नाबालिग के नाम से बचत बैंक खाता उसके नैसर्गिक संरक्षक या उसके पिता और/या माता के नाम अथवा उनके साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है। नैसर्गिक संरक्षक या उसके पिता–माता के जीवित नहीं होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक के साथ खाता खोला जा सकता है।
5.	विभागों/संस्थाओं आदि के खाते	भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बचत बैंक खाते केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्गमित अनुदान/आर्थिक सहायता से सम्बद्ध सरकारी विभागों/निकायों /एजेन्सियों के नाम से खोले जा सकते हैं। शाखा को सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा जारी प्राधिकार पत्र की प्रति अपने रिकार्ड में रखनी चाहिए। उन संस्थाओं/एजेन्सियों जिनके बचत खाते खोले जा सकते हैं अथवा नही खोले जा सकते हैं, की सूची क्रमशः अनुलग्नक I एवं II में दी गयी है।
6.	बचत बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया	खाता खोलने के लिए आवेदन बैंक द्वारा निर्धारित फार्म में किया जाएगा। खाता खोलने का आवेदन व्यक्तिगत रूप से बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के सामने किया जाएगा। आवेदन फार्म में आवेदनकर्ता को नाम, पिता/पति का नाम, पता, व्यवसाय, फोन नं., स्थायी खाता नम्बर जन्म तिथि, आदि का उल्लेख करना चाहिए। प्रत्येक आवेदनकर्ता को यह घोषणा करनी होगी कि उसने बचत बैंक खाता नियमों को पढ़ लिया है और उनसे सहमत हैं। पेन नम्बर नहीं होने पर फार्म 60/61 में घोषणा पत्र दिया जाएगा।

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
7.	निरक्षर जमाकर्ता का खाता	लिखने में असमर्थ, अनपढ़ जमाकर्ता को स्वयं बैंक में आना होगा और खाता खोलने के फार्म पर अंगूठे का निशान किसी मान्य गवाह जिसे बैंक और आवेदक दोनों जानते हों की उपस्थिति में लगाना होगा। ऐसे अनपढ जमाकर्ता को अपना हाल ही का फोटो बैंक के परिचित किसी व्यक्ति द्वारा सत्यापित करके देना चाहिए। यदि अनपढ़ व्यक्ति किसी पढ़े लिखे अथवा अनपढ़ निकट सम्बन्धी के साथ संयुक्त रूप से खाता खोलना चाहे तो बैंक अपने विवेकानुसार उसे यह अनुमति दे सकता है। दो या दो से अधिक निरक्षर व्यक्तियों का खाता यदि वह निकट के सम्बन्धी जैसे पति, पत्नी, बच्चे, माता, पिता, भाई, अविवाहित बहिनें हो तथा चचेरे ममेरे भाई बहिन नही हो तो खोल सकते हैं। खाते के परिचालन की अनुमति संयुक्त रूप से ही होगी। अनपढ़ जमाकर्ताओं के एकल या संयुक्त नाम से खोले गये खातों को चैक बुक की सुविधा नही दी जायेगी।
8.	हिन्दू अविभाजित परिवार का खाता	सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से हिन्दू अविभाजित परिवार का बचत खाता खोला जा सकेगा। व्यवसाय में लगी एकल स्वामित्व वाली साझेदारी फर्म और संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के बचत खाते नही खोले जा सकते हैं।
9.	स्टाफ का खाता	स्टाफ सदस्य के नाम पर एकल या संयुक्त बचत खाता अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ खोला जा सकता है। स्टाफ सदस्य/सेवा निवृत स्टाफ सदस्य के मामले में बैंक नियमानुसार 1 प्रतिशत अधिक ब्याज दिया जा सकता है।
10.	फोटोग्राफ	प्रत्येक खाताधारक को खाता खोलते समय हाल ही में लिया गया पासपोर्ट आकार का अपना फोटो प्रस्तुत करना होगा। फोटो पर खातेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप लगायी जायेगी जिसका मिलान नमूना हस्ताक्षर कार्ड पर किये हस्ताक्षर से होना चाहिए। फोटो के पीछे खातेदार का नाम व खाता संख्या शाखा के कर्मचारी द्वारा समुचित अधिप्रमाणन के अधीन लिखे जाने चाहिए।
11.	परिचय	खाते का परिचय किसी वर्तमान खाताधारक द्वारा दिया जाना चाहिए जिसका खाता बैंक के पास संतोषजनक रूप से चलाया जा रहा हो।
12.	केवाईसी नियमों की पालना	शाखा स्तर पर खाता खोलते समय अपने ग्राहक को जानिए (**Know Your Customer**) मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। खाता खोलते समय एवं निश्चित समयावधि के बाद बैंक की केवाईसी नाति में निर्धारित अनुसार खाताधारक से फोटो पहचान एवं/या पते के प्रमाण हेतु साक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।
13.	खाता धारक को धन्यवाद पत्र भिजवाना	प्रत्येक खाता धारक एवं/या उसके परिचयकर्ता को शाखा में खाता खोलने के दिन, खाता खोलते समय दिये गये पते पर डाक अथवा कूरियर द्वारा धन्यवाद पत्र भेजा जाएगा।
14.	पासबुक	बैंक खाताधारक को पासबुक/खाता विवरण उपलब्ध करायेगा। खाता खोलने पर प्रथम बार पासबुक निशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी परन्तु खो जाने, नष्ट हो जाने पर डुप्लीकेट पासबुक हेतु निर्धारित दर से प्रभार देय होगा।
15.	खाता खोलने हेतु न्यूनतम राशि	बचत खाता खोलते समय जमा करायी जाने वाली न्यूनतम राशि निम्नानुसार होगी– चेक बुक सहित चेक बुक रहित ग्रामीण शाखाएं ₹ 500/– ₹ 250/– अर्द्धशहरी शाखाएं ₹ 500/– ₹ 500/– शहरी शाखाएं ₹ 500/– ₹ 500/– खाते में न्यूनतम शेष नहीं रखने पर बैंक नियमानुसार प्रभार वसूल किया जाएगा।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>बिन्दु</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>16</td><td>आहरण</td><td>1. खाते में आहरण पर्ची अथवा चैक द्वारा आहरण करने की अनुमति दी जायेगी। सामान्यतः खातेदार को आहरण पर्ची द्वारा धन निकालने के लिए निजी तौर पर शाखा में उपस्थित होना चाहिए और भुगतान प्राप्त करने के लिए आहरण पर्ची के साथ पासबुक भी प्रस्तुत करनी चाहिए।
2. बचत बैंक खाते से कुल नामे (सेवा प्रभारों को छोड़कर) प्रति छमाही के लिए 100 से अधिक नही होगी। यह नियम स्टाफ के लिए लागू नही है। नामे प्रविष्टियों की संख्या प्रति छमाही के लिए 100 से अधिक होने पर, आधिक्य आहरणों पर प्रति आहरण बैंक नियमानुसार प्रभार वसूल किया जाएगा।
3. आहरण पर्ची के द्वारा ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी शाखाओं में ₹ 50/– तथा शहरी शाखाओं में ₹ 100/– से कम राशि के नकद आहरण की अनुमति नही दी जायेगी जब तक कि खाता बन्द न किया जा रहा हो।
4. सामान्यतः, सभी खाताधारकों को मांग पर चेकबुक जारी की जाएगी। आहरण पर्ची के पेटे नकद आहरण हेतु शहरी शाखाओं के लिए ₹ 25000/– तथा ग्रामीण/अर्द्धशहरी शाखाओं के लिए ₹ 50000/– तक की अनुमति होगी। इससे अधिक राशि के आहरण हेतु शाखा प्रबन्ध/सक्षम अधिकारी द्वारा उचित निर्णय लिया जा सकता है।
5. सामान्यतया, आहरण पर्ची के माध्यम से तीसरी पार्टी को आहरण की अनुमति नही दी जाएगी तथापि विशिष्ट अपवाद स्वरूप मामलों में पूरी तरह लेन देन की वास्तविकता की जांच करने और समुचित रूप से खातेदार की पहचान कर लेने के बाद शाखा प्रबन्धक/सक्षम अधिकारी अपने विवेकानुसार तीसरी पार्टी को भुगतान के लिए अनुमति दे सकता है। ऐसे मामलों में पासबुक प्रस्तुत किया जाना चाहिए और आहरण पर्ची पूर्व दिनांकित नही होनी चाहिए।
6. बचत बैंक खातेदारों को किसी वित्तीय वर्ष में 40 चेक पन्ने निःशुल्क दिये जाएंगे, जो प्रति छ माह में 20 से अधिक नहीं होंगे। इससे अधिक चेक पन्ने जारी करते समय बैंक नियमानुसार प्रभार वसूल किया जाएगा।
7. चैक के द्वारा आहरण करने की अनुमति उन सभी खातों में दी जायेगी जिनमें निर्धारित न्यूनतम जमा राशि रखी जाती हो। यदि खाते में न्यूनतम राशि नही रखी जाती है तो बैंक चैक बुक सुविधा वापस ले सकता है।
8. जिन खातों में चैक बुक जारी की गयी है वहां राशियों के आहरण की अनुमति चैक के माध्यम से ही दी जायेगी। अपवाद स्वरूप मामलों में शाखा प्रबन्धक की अनुमति से आहरण पर्ची का प्रयोग नकद भुगतान के लिए किया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>ब्याज का भुगतान</td><td>बचत बैंक खाते में ब्याज का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमो/दरों के आधार पर किया जायेगा। वर्तमान में सामान्य खातों के लिए यह दर 4.00 प्रतिशत है। ब्याज का भुगतान दैनिक आधार पर गुणक की गणना करते हुए, छमाही आधार पर निम्न प्रकार से किया जाएगा–<table><tr><th>अवधि</th><th>किया जाने वाला ब्याज भुगतान</th></tr><tr><td>जनवरी – जून</td><td>माह जुलाई के प्रारम्भ में</td></tr><tr><td>जुलाई – दिसम्बर</td><td>माह जनवरी के प्रारम्भ मे</td></tr></table>पूर्ववर्ती बैंक की ऐसी शाखाओं, जो इन अवधियों से हटकर अन्य तिथियों पर ब्याज भुगतान कर रही हैं, में आवश्यकता अनुसार संशोधन करते हुए, इन तिथियों के अनुरूप ब्याज का भुगतान किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>अपरिचालित खाते</td><td>ऐसे बचत खाते जिनमे 4 छमाहियों में कोई परिचालन नही होता है उन्हें अपरिचालनीय खाता माना जाएगा।</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>नामांकन</td><td>1. व्यक्तिगत बचत खातों में नामांकन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यदि खाताधारक नामांकन करने का इच्छुक नहीं हो तो उससे ऐसा आवेदन लिखित में प्राप्त किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर शाखा द्वारा इसका इन्द्राज खाता खोलने के फार्म पर किया जाएगा।
2. वैयक्तिक खाता धारकों को नामांकन करने, बदलने परिवर्तन करने की सुविधा होगी जो विनिर्दिष्ट फार्म डी ए 1 भरकर प्राप्त की जा सकेगी। व्यक्तियों के संयुक्त खातों में सभी जमाकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से नामांकन किया जाना चाहिए।
3. नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकेगा।
4. पासबुक में ''........................ तारीख को नामांकन दर्ज किया गया'' का उल्लेख किया जाएगा परन्तु खाताधारक के अनुरोध के बिना नामित व्यक्ति का नाम नही लिखा जाएगा। नामांकन रजिस्टर में भी इसकी प्रविष्टि की जाएगी। साथ ही खातेदार को पावती भी दी जाएगी।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
20	सेवा प्रभार	बचत खातों में बैंक नियमानुसार विभिन्न सेवा प्रभार, यथा – आधिक्य प्रविष्टि प्रभार, डुप्लीकेट पासबुक प्रभार, चैकबुक पन्ना प्रभार, न्यूनतम शेष न रखने पर प्रभार, खाते में नाम जोडना/हटाना/नामांकन/परिचालन अनुदेश में परिवर्तन हेतु प्रभार, स्थायी अनुदेश प्रभार, अपिरिचालित खातों पर प्रासंगिक प्रभार, "भुगतान रोकें" अनुदेश हेतु प्रभार, खातों का समय पूर्व भुगतान (एक वर्ष के अन्दर) हेतु प्रभार आदि लगाए जाएंगे। उक्त दरें प्रधान कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अुनसार परिवर्तनीय व लागू होगी।
21	मृत व्यक्ति के खाते की शेष राशि का भुगतान	एकल खाते के मामले में खातेदार की मृत्यु या संयुक्त खाते के मामले में संयुक्त खातेदार की मृत्यु की स्थिति में खाते में जमा शेष का भुगतान उसके नामिति/कानूनी वारिसों को निम्न आधार पर किया जाएगा – क) नामांकन, ख) क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र ग) वैघ प्रतिनिधित्व द्वारा
22	भुगतान रोकने हेतु अनुदेश	खातेदार द्वारा उसके खाते में लिखे चेकों के भुगतान को रोकने के अनुदेश देने की सुविधा होगी। चेक का भुगतान नही होना सुनिश्चित करते हुए, विवरण सिस्टम में दर्ज किया जाएगा।
23	खाते का दूसरी शाखा में अन्तरण	खाताधारक द्वारा अपना खाता बैंक की अन्य किसी भी शाखा में वर्तमान खाता नम्बर के साथ अन्तरित कराने के लिए "Account Portability" सुविधा उपलब्ध होगी।
24	तीसरी पार्टी के चैकों की वसूली	किसी भी बचत बैंक खाते में तीसरी पार्टी के चेकों की वसूली नही की जाएगी। आदाता खाता रेखांकित चेकों की उगाही केवल आदाता के खाते में जमा करने हेतु ही की जाएगी। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सहकारी ऋण समितियों द्वारा उनके सदस्यों के नाम से देय चेक का संग्रहण कराने की सुविधा बैंक नियमानुसार उपलब्ध होगी।
25	स्थायी अनुदेश	खाताधारक द्वारा अन्य खातों, जीवन बीमा निगम किस्त आदि की अदायगी के लिए स्थायी अनुदेश दिया जा सकेगा। किसी खाते में अपर्याप्त शेष राशि के कारण स्थायी अनुदेशों का पालन न कर पाने की स्थिति में उचित प्रभार लिया जाएगा।
26	अधिदेश पत्र (Letter of mandate)	वास्तविक मामलें में बचत बैंक खातेदार अपनी ओर से खाते को चलाने के लिए अन्य व्यक्ति के पक्ष में अधीदेश पत्र जारी करना चाहता है तो शाखा द्वारा इस तरह के अधिदेश पत्र स्वीकार कर, अधीदेश धारक को परिचालन की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार के खातों का प्रयोग व्यापार के लिए नही हाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु निर्धारित प्रभार वसूला जाएगा।
27	खाते को बन्द करना	खाता धारक को खाते को बन्द करने का अपना अनुरोध लिखित रूप में देना होगा। संयुक्त खातों के मामले में अनुरोध पत्र पर सभी खाता धारकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। एक वर्ष से पूर्व खाताा बन्द करने पर बैंक नियमानुसार प्रभार वसूल किया जाएगा।